न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 91/2014/डिक्री

1. जगदीश पिता मिठुलाल तेली
2. कन्हैयालाल पिता मिठुलाल तेली
3. मु. कस्तुरी बेवा मिठुलाल तेली

सभी निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. मु0सोहनी बेवा स्व0 घीसालाल तेली
2. गुलाबचन्द पिता स्व0 घीसालाल तेली
3. जानकीलाल पिता स्व0 घीसालाल तेली
4. मु0 पार्वतीबाई स्व0 घीसालाल तेली
5. राजमल पिता फूलचन्द तेली
6. सुनिता पुत्री फूलचन्द तेली
7. मु0 टमु पुत्री फूलचन्द तेली
8. मु0 कैलाशी बेवा फूलचन्द तेली

   सभी निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
9. मुकेश पिता शोभालाल तेली मृतक के बजाय–
   1. मु. श्यामुबाई पत्नि स्व0 मुकेश तेली
   2. किशन पिता स्व0 मुकेश तेली नाबालिग सरपरिस्त माता श्यामुडी पत्नि मुकेश तेली निवासी रानीखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   3. विशाल पिता स्व0 मुकेश तेली नाबालिग सरपरिस्त माता श्यामुडी पत्नि मुकेश तेली निवासी रानीखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10. सुरेश पिता शोभालाल तेली
11. हुलासी बेवा शोभालाल तेली

    दोनो निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
12. राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/06/2014 प्रकरण संख्या 241/2005

उपस्थित – 1. श्री शिवनारायण जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 से 4 एवं 12, 13

निर्णय दिनांक : — 12.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण मृतक घीसा के वारिसान का दावा इस आशय का विचाराधीन था कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खातेदारान के है जिनके मूल पुरूष अमराजी थे, अमराजी के तीन लडके मिठ्ठुलाल, घीसालाल, शोभालाल थे जिसमे से मिठ्ठुलाल की मृत्यु हो गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक सम्पत्ति आराजी नम्बर 79 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौजा सापलिया खेडी तहसील निम्बाहेडा मे स्थित है तथा उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है एवं वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से 10 का 1/3 नियत है परन्तु अमरा का बडा लडका मिठ्ठुलाल परिवार मे बडा पुत्र होने के नाते उपरोक्त आराजीयात मिठ्ठुलाल के नाम पर दर्ज हो गई। इस कारण वादीगण का 1/3 हिस्सा घोषित कराया जावे एवं बंटवाडा करा खातेदारी मे दर्ज किया जावे। उपरोक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तथा गवाहो के बयान दर्ज किये गये एवं तनकीयात कायम करते हुए वादीगण का वादपत्र पक्ष वादीगण डिक्री किया है। इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

2. वादीगण तनकी नम्बर को साबित कराने मे असफल रहे है। वादीगण ने ऐसी कोई सा़क्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे भी साबित हो कि आराजी नम्बर 79 वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी रही हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज प्रदर्श–3 का सही अवलोकन नही कर निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 116 अमरा के नाम दर्ज नही कर निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 116 अमरा के नाम दर्ज हो सकती है परन्तु आराजी नम्बर 79 के बारे मे ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही हुआ है जिससे साबित हो कि आराजी नम्बर 79 अमरा के नाम दर्ज रिकार्ड रही हो। संवत् 2008 के बाद 62 वर्षो तक वादीगण अपने अधिकारो के प्रति सोये हुये थे एवं चारज्योही नही की, इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। तनकी नम्बर 2 को साबित कराने मे भी असफल रहे है। आराजी नम्बर 79 वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात नही रही है एवं वादीगण का कोई हक व अधिकार नही बनता है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने यह साबित कराया है कि उनके पिता मिठ्ठुलाल ने आराजी नम्बर 79 को चमनसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी सापलिया खेडी से खरीदी

थी एवं उपरोक्त आराजीयात मिठ्ठुलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाह पीडब्ल्यु –1 सुरेश चन्द्र प्रस्तुत हुआ जो कि प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 9 संयोजित है। इस प्रकार वादी को अपनी साक्ष्य से वाद साबित कराना था। प्रतिवादी संख्या 9 को वादी के पक्ष मे बयान पीडब्ल्यु–1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया जाने मे विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.डब्ल्यु–1 से लगायत पीडब्ल्यू–4 गवाह पेश हुये है जिसमे से दो गवाह से जिरह का प्रतिवादीगण को कोई अवसर नही दिय गया है। इसके अलावा गवाह जानकीलाल से दिनांक 29/04/2013 को जिरह हुई थी जिसमे बहीनामा पर प्रदर्श डालने पर आपत्ति होने के बाद बयान रिजर्व रखे गये थे परन्तु उसी दिन पुनः प्रदर्श–4 प्रदर्शित कराये जाकर बयान लिये गये जो कानूनन संवत् नही है प्रतिवादीगण को सुनवाई का मौका नही दिया गया है। गवाह जानकीलाल द्वारा जिरह मे स्वीकार किया गया कि नकल प्रदर्श–3 वरदा पिता मोडा तेली के नाम दर्ज है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात को अमरा के खाते होना मानकर भारी भूल की है एवं मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर एवं दस्तोवजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर कयासी आधारो पर वादीगण के पक्ष मे 1/3 हिस्से की घोषणा डिक्री किये जाने मे विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र घीसालाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है परन्तु घीसालाल की मृत्यु के पश्चात् अन्दर अवधि कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही हुआ है एवं आदेश 22 नियम 3 के तहत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस कारण दावा अबेटमेन्ट मे खारीज किया जाने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा लम्बे समय तक स्टेण्ड रखा गया है जो विधि विरूद्ध है। जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 79 के हाल नम्बर 83 बने है एवं उपरोक्त बैक ऑफ बडौदा निम्बाहेडा के रहन है और बैंक ऑफ बडौदा को पक्षकारा बनाये बिना बंटवाडा का आदेश दिया जाना विधि विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री मे आदेश दिया गया कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा सापलिया खेडी तहसील निम्बाहेडा के खाता संख्या 18 की आराजी नम्बर 79 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर बंटवाडा तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत कर एवं बंटवाडे मे कृषि आराजीयात यथासंभव एक चक रखा जावे एवं कृषि आराजीयात पर पहूंचने का रास्ता भी सुनिश्चित किया जावे। उक्त निर्णय मे प्राथमिक डिक्री मे राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश विधि विपरीत है क्योकि बंटवाडा नही होने तक राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही किया जा सकता है। अधीनस्थ

न्यायालयका निर्णय दिनांक 23/06/2014 को पारित किया गया है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा निर्णय एवं डिक्री की कोई सूचना नही दी गई। अधिवक्ता के 2 महीने हडताल पर चले जाने के कारण निर्णय की सूचना नही मिल सकी। दिनांक 08/10/2014 को वादीगण को उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्तु हई। अपील पेश करने मे हुई 20 दिन की देरी को कण्डोन फरमाई जावे। धारा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने बयान किया कि अपीलान्ट के पिता श्री मिठूलाल पिता अमरा के नाम विवादग्रस्त भूमि दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पैरा 1 मे विस्तृत सजरा दिया गया है। विरासती इंतकाल के फलस्वरूप वारिसान रिकार्ड पर आ गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैतृक सम्पत्ति मानकर वाद डिक्री किया गया है जबकि यह स्वअर्जित भूमि है। दावा मे मिठुलाल की 5 लडकियो को पार्टी नही बनाया तथा अमरा की पुत्री प्यारी को भी पार्टी नही बनाया गया है। लिखत अपंजीकृत है। वाद संवत् 2014 जमाबन्दी को आधार बनाकर पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 9 के बयान हुए है। गवाहान से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है तथा घीसा के कायम मुकाम लम्बे समय तक पेश नही किये गये है। अमरा के नाम कभी कोई आराजीयात रिकार्ड होती तो उनका पुश्तैनी हक बनता तथा पुश्तैनी इंतकाल भी दर्ज होता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि वाद घीसा द्वारा पेश किया गया है यह जमीन अमरा की थी, जिसके मरने के बाद मिठुलाल के नाम समस्त भूमि दर्ज हो गई जबकि मौके पर 3 पुत्रो का 1/3– 1/3 हिस्सा पर कब्जा है। उक्त वाद मे जवाब पेश हुआ जिसमे दावा प्रमाणित होने पर डिक्री किया गया। यह भूमि स्वअर्जित नही है। संवत् 2008 मे उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति के रूप दर्ज है जो प्रदर्श–3 से स्पष्ट है जिसमे भूमि अमरा के नाम दर्ज है। संवत् 2009 से 2012 की जमाबन्दी मे भी भूमि अमरा के नाम दर्ज है जबकि उनकी मृत्यु के बाद समस्त भूमि मिठुलाल के नाम दर्ज हो गई जो विधि विरूद्ध है। इस

सम्बन्ध मे पर्चा मौका भी पेश हुआ है जिसे रिकार्ड पर लिया गया है। मौखिक साक्ष्य मे सभी गवाहान ने तीनो भाईयो का बराबर हिस्सा माना है तथा 1/3–1/3 हिस्सा पर काबिज होना बताया है। शोभालाल के वारिस को भी पार्टी बनाकर हक दिलाया है। लिखत मे भी उल्लेखित है कि तीनो भाईयो का 1/3–1/3 हिस्सा है। मौका रिपोर्ट प्रदर्श–3 ए से भी स्पष्ट है कि तीनो भाई 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराना राजस्व रिकार्ड देखकर भूमि पैतृक सम्पत्ति मानते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करनें में कोई त्रुटि नही की है वरन् पुरानी जमाबंदी के मुताबिक पैतृक सम्पत्ति मानते हुए 1/3 –1/3 हिस्सा घोषित किया है जिस पर तीनो भाईयो का लम्बे समय तक काबिज होना भी मौका रिपोर्ट के मुताबिक पाया जाता है। जिससे स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति मे आती है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 241/2005 मे पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23/06/2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़